भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3230
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में निर्भया फंड की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3230. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में, विशेषकर बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और मैसूरु में कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण और प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और निर्भया फंड के अंतर्गत स्वीकृत पहलों, जिनमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प डेस्क और अन्य उपाय शामिल हैं, का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त पहलों के अंतर्गत परियोजना-वार कितनी निधि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब/निधि के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त पहलों के अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और इनमें निर्मित अवसंरचना, सुरक्षित शहर के लिए किए गए उपाय, स्थापित/सुदृढ़ किए गए वन स्टॉप सेंटर, सहायताप्राप्त महिला हेल्प डेस्क, लाभान्वित लाभार्थी और इनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले निगरानी संकेतक क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कर्नाटक में लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने तथा निर्भया फंड की पहलों के कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, निर्भया कोष की स्थापना सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ढांचे और दिशानिर्देशों

के अनुसार आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक विशेष अव्यपगत कॉर्पस कोष के रूप में की गई है। निर्भया निधि के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं/योजनाएं **अनुलग्नक-I** में हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पहलों के अंतर्गत परियोजना-वार स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

निर्भया कोष के तहत, वर्ष की आवश्यकताओं के आधार पर और निर्भया कोष के सार्वजनिक खाते में पहले से उपलब्ध शेष राशि को ध्यान में रखते हुए, सरकार संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक बजट में मानक आधार पर निधि आवंटित करती है।

(ग): बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना में, स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां महिलाएं कार्य करती हैं और रहती हैं, सभी प्रकार के सीसीटीवी निगरानी प्रणाली (11000+) स्थापित और एकीकृत की गई है, जीआईएस आधारित अपराध मानचित्रण सेवाएं पूरी हो चुकी हैं, 50 सुरक्षा स्थल स्थापित और एकीकृत किए गए हैं, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) और महिलाओं और बच्चों के लिए एक एकीकृत सहायता केंद्र स्थापित और संचालित किया गया है, 111 पुलिस थानों और 08 अस्पतालों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, 60 स्थानों पर महिला पुलिस चौकियां स्थापित की गईं, कर्नाटक राज्य पुलिस ऐप का उन्नयन, सभी 111 पुलिस स्टेशनों में शिकायत पेटियां स्थापित की गईं, एसओसी किट के साथ 8 फोरेंसिक वैन संचालित हो रही हैं, लैंगिक संवेदीकरण - स्कूलों, जेलों और जनता में जागरूकता अभियान चलाया गया है, 250 डैश कैम खरीदे गए हैं। स्टेशनों और बंदोबस्त में 10 शौचालय सुविधाएं, 4 साइबर लैब स्थापित की गईं और उच्च प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मियों की रानी चेन्नामा टीम के 4 बैच स्थापित किए गए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन अधिक महिलाओं के अनुकूल और सुलभ हों, इसलिए देश भर में पुलिस स्टेशनों में 15,049 महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 14,363 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया है। इनमें से 1050 डब्ल्यूएचडी कर्नाटक में स्थापित किए गए हैं। इन महिला सहायता

डेस्क पर तैनात अधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और परामर्श, पुनर्वास और सहायता सेवाओं के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों के एक पैनल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कर्नाटक 16 ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित 30 कार्यशील एफटीएससी संचालित करता है, जिन्होंने 17,147 मामलों का निपटारा किया है। कर्नाटक में सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत साइबर अपराध में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या 2240 है और राज्य ने 35 मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य में 44 ओएससी कार्यशील हैं। जिनमें से 6 ओएससी बेंगलुरु शहरी में, 01 बेंगलुरु ग्रामीण में और 2 मैसूर जिले में स्थित हैं। महिला हेल्पलाइन नियंत्रण कक्ष बेंगलुरु शहरी जिले में कार्यशील है। ओएससी और डब्ल्यूएचएल परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। पूरे कर्नाटक में महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 1,23,600 से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

(घ): परियोजनाओं की संकल्पना, योजना बनाई जाती है और मूल्यांकन और सिफारिश के लिए अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ईसी द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन और सिफारिश के बाद, प्रायोजक मंत्रालय का संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) स्वीकृति देता है, जिसके बाद निर्भया कोष से निधि का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के बजट में किया जाता है। जिन परियोजनाओं/योजनाओं में आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, के लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, यथा अपेक्षित कार्यान्वयन प्रयोजक मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर निधियां जारी की जाती हैं। निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित होती हैं और सामान्यत उनकी कार्यान्वयन समय-सारिणी अलग-अलग होती है और परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की होती है।

अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति संबंधित प्रयोजक मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय की भी समीक्षा करती है। संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं।

अनुलग्नक ।

कर्नाटक में निर्भया फंड की परियोजनाओं का कार्यान्वयन के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा पूछा गया 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के भाग(क) में उल्लिखित अनुलग्नक

(i) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112, (ii) बेंगलुरु शहर सहित 8 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना लागू की गई, (iii) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), (iv) महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-181 का सार्वभौमीकरण, (v) मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, (vi) महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, (vii) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) (viii) बेंगलुरु में राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाएं (एसएफएसएल), (ix) फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण, (x) फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण, (xi) राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी), (xii) बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना, (xiii) बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित, (xiv) महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति पुरुषों को संवेदनशील बनाना और (xv) हिंसा से स्वतंत्रता: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर कानूनी प्रावधानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण।

अनुलग्नक II

कर्नाटक में निर्भया फंड की परियोजनाओं का कार्यान्वयन के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा पूछा गया 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के भाग(ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

(करोड़ रुपये)

				जारी की गई राशि/ उपयोग किया गया		
मंत्रालय	**क्र. सं.**	**परियोजना का नाम**	**ईसी द्वारा निधि का मूल्यांकन**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
गृह मंत्रालय	1	बेंगलुरु सुरक्षित शहर	2919.55	100.05	25.00	49.14
	2	एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना	252.79	0.0	0.0	0.0
	3	पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	164.69	0.03	0.12	0.00
	4	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)	364.05	0.0	0.0	0.0
	5	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	195.83	0.96	0.00	0.00
	6	मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	113.76	0.0	0.0	0.0
न्याय विभाग	7	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना	5123.20	7.45	7.65	8.03

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	8	बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	56.06	0.0	0.0	0.0
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	9	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	867.74	533.39	877.00	1500.00
	10	महिला हेल्पलाइन	155.94	94.50	18.90	72.30
